संख्या:03/2022/I/135823/2022/46-1002/(002)/6/2021

प्रेषक,

डॉ. रुपेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 27 जनवरी, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहाँपुर को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) के अन्तर्गत आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:78/लेखा-बजट, दिनांक 20-09-2021, जिसके द्वारा निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद के पत्र संख्या:3276/निर्माण/2021-22 दिनांक 28-08-2021 के साथ आवश्यक निमार्ण एवं विशेष मरम्मत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के आधार पर धनराशि रू.164.894 लाख (रूपये एक करोड़ चौसठ लाख नवासी हजार चार सौ मात्र) की कार्ययोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत 'आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत' मद में उ.प्र. गन्ना शोध परिषद एवं सम्बद्ध शोध केन्द्र/संस्थान हेतु संलग्नक में उल्लिखित कार्यों को सम्बन्धित कार्यदायी संस्था**(संलग्नक के कालम-5 के अनुसार)** से कराने हेतु, उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन/आगणन **(संलग्नक के कालम-4 के अनुसार)** के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 के प्राविधानों के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

(1) संलग्नक में उल्लिखित नव निर्माण कार्यों को उ.प्र. विधान सभा सामान्य चुनाव आचार संहिता, 2022 की समाप्ति के पश्चात किया जाएगा।

(2) संलग्नक में उल्लिखित कार्यों को कराने हेतु, कार्य के सम्मुख निर्दिष्ट कार्यदायी संस्था होगी तथा उन्हें वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 एवं शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2011-17(4)/75, 11-11-2014 की व्यवस्थानुसार सेंटेज चार्जेज (यथा निर्दिष्ट दर से) की धनराशि अनुमन्य होगी।

(3) संलग्नक में उल्लिखित कार्यों को मानक के अनुसार पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए, समस्त कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति के पूर्व अर्थात दिनांक 31.03.2022 के पूर्व, पूर्ण कराते हुए स्थलीय निरीक्षण आख्या सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, गन्ना आयुक्त, उ.प्र. के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) संलग्नक में उल्लिखित समस्त कार्यों को, निविदा एवं निर्माण सम्बन्धी सुसंगत नियमों/शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार पूर्ण कराये जाने/नियमित अनुश्रवण किये जाने का दायित्व, निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर का होगा।

सलंग्नकः-यथोपरि।

भवदीय

डॉ. रुपेश कुमार

विशेष सचिव।

संख्या:03/2022/I/135823/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
2. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।
3. मुख्य अभियंता, अभियंत्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6

8. गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

डॉ. रुपेश कुमार

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या: 03/2022/I/135823/2022, दिनांक 27 जनवरी, 2022 का संलग्नक

(धनराशि रू. लाख में)

क्र. सं.	निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख रू. में)	कार्य की कुल लागत प्राक्कलन के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5
क-	**शाहजहाँपुर**			
1-	बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	60. 00	60. 00	गन्ना विकास विभाग
2-	03 नग महिला शौचालय का निर्माण एवं अनुरक्षण	3.00	2.57	सहायक अभियंता, गन्ना शोध परिषद्
3-	जगरी प्लान्ट का अनुरक्षण एवं स्थल विकास	10. 00	9.70	सहायक अभियंता, गन्ना शोध परिषद्
4-	आवासीय/अनावासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रंगाई पुताई	30. 00	30. 00	गन्ना विकास विभाग
	योगः -	**1 0 3.** 00	**102.27**	
ख-	**मुजफ्फरनगर।**			
1-	स्ट्रीट लाइट	35 . 00	34.949	गन्ना विकास विभाग
2-	नुमाईश कैम्पगेट से गेस्टहाउस तिराहे तक इन्टरलाकिंग टाईल्स कार्य।	12 . 00	11.44	गन्ना विकास विभाग
3-	प्रक्षेत्र अधीक्षक आवास की मरम्मत एवं रंगाई पुताई	6 . 00	5.53	गन्ना विकास विभाग
	योगः -	**53.** 00	**51.919**	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

ग-	**गोला-खीरी**			
	वाच टावर-05	7 . 00	1.269X5=6.345	गन्ना विकास विभाग
	योगः -	7 . 00	6.345	
घ-	**लक्ष्मीपुर-कुशीनगर।**			
	प्रक्षेत्र अधीक्षक आवास की छत एवं अन्य मरम्मत कार्य।	4.42	4.36	सहायक अभियंता, गन्ना शोध परिषद्
	योगः- -	**4.42**	**4.36**	
	महायोग & क से घ तक	**167.42**	**164.894**	

(रूपये एक करोड़ चौसठ लाख नवासी हजार चार सौ मात्र)

डॉ. रुपेश कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है